संख्या-1/1/94-कार्मिक-1/1994

प्रेषक,

आर0 बी0 भाष्कर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्क्ष, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 1994।

विषय :- उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-1

उपरोक्त विषय पर दिनांक 23 मार्च, 1994 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1994" की प्रति संलग्न करते हुये मुझे उक्त अधिनियम की निम्नलिखित मुख्य-मुख्य धाराओं/व्यवस्थाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है :-

(1) इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) में लोक सेवाओं और पदों को विस्तार से परिभाषित किया गया है, जिनमें इस अधिनियम के अनुसार आरक्षण लागू होगा। उक्त खण्ड (ग) के अनुसार यह आरक्षण **राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित समस्त सेवाओं और पदों,** समस्त **स्थानीय प्राधिकारी** (लोकल आथारिटीज) की सभी सेवाओं और पदों, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित ऐसी (समस्त **सहकारी समितियों,** जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति के अंश पूंजी के 51% से कम न हो, की सभी सेवाओं/पदों, सभी **बोर्डों, निगमों, कानूनी निकायों** जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो और ऐसी सभी सरकारी कम्पनियों जिसमें सरकार द्वारा धृत समादत्त शेयर पूंजी 51% से कम न हो से सम्बन्धित सभी सेवाओं और पदों, **अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्थाओं को छोड़कर** राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन **सभी शिक्षण** संस्थाओं या जो सरकार से **अनुदान प्राप्त** करती हो, जिसके अन्तर्गत किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित **समस्त विश्वविद्यालय** भी शामिल हैं, की सभी सेवाओं और पदों तथा ऐसी **समस्त सेवाओं और पदों, जिनमें इस अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनांक** (अर्थात् 11 दिसम्बर, 1993) **को सरकार के आदेशों द्वारा आरक्षण लागू था,** पर उक्त आरक्षण अधिनियम, 1994 के प्राविधान लागू होंगे।

(2) उपरोक्त समस्त सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों के पक्ष में 21% , अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में 2% और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में 27% आरक्षण सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, सरकार द्वारा जारी रोस्टर के अनुसार, लागू होगा।

(3) यदि किसी श्रेणी के लिये आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जायेगी तो उस श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिये विशेष भर्ती, तीन से अनधिक उतनी बार की जायेगी, जितनी बार आवश्यक हो। और ऐसी तीसरी भर्ती में भी अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी, उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु, उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरी जायेगी।

(4) यदि आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा अर्थात् उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जायेगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य किसी सुविधा या छूट (यथा आयु सीमा में छूट आदि) का उपभोग किया हो।

(5) इस अधिनियम के प्रयोजनों का, यथास्थिति जानबूझ कर उल्लंघन करने, या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य किये जाने पर, सम्बन्धित अधिकारी, जिसे इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा सौंपा जायेगा, दोष सिद्ध होने पर, अधिकतम तीन मास के कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

(6) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक (।। दिसम्बर, ।993) को पदोन्नति के मामलों में आरक्षण से सम्बन्धित सरकार के जो आदेश लागू थे, वह यथावत् लागू होंगे।

2- आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि संलग्न अधिनियम, ।994 के समस्त प्रावधानों का सभी स्तरों पर, उन सभी लोक सेवाओं व़ पदों के सम्बन्ध में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, जिनका उल्लेख इस शासनादेश के प्रस्तर-। के खण्ड (।) में किया गया है। यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को भी आप कृपया अवगत करा दें ताकि इन प्रावधानों का सभी संगत मामलों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय,

आर0 बी0 भाष्कर,
सचिव।

संख्या-।/।/94-का-।/94 (।), तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि, सन्दर्भगत अधिनियम, ।994 की प्रति सहित निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिनियम के प्राविधानों से कृपया अपने समस्त सम्बन्धित अधीनस्थों को भी अवगत करने का कष्ट करें :-

(।) प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल जी, उत्तर प्रदेश।
(2) सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सभी सम्बन्धित बोर्डों, निगमों, निकायों आदि में उपरोक्त अधिनियम को लागू कराने के अनुरोध सहित।

(3) प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक सस्थाओ (अल्पसख्यक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक सस्थाओ को छोडकर) जिनमे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विश्वविद्यालय भी सम्मिलित है, की सेवाओं और पदो में उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानो को लागू कराने के अनुरोध सहित।

(4) सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, को समस्त संबंधित सहकारी समितियों आदि में उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराये जाने के अनुरोध सहित।

(5) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/सचिव, आवास विभाग/सचिव पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित संस्थाओं आदि में उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान लागू कराने के अनुरोध सहित।

(6) राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(7) प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर) के निबन्धक।

(8) निबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी समितियाँ, लखनऊ।

(9) समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश।

(10) समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।

(11) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।

(12) निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा, लखनऊ।

(13) समस्त अध्यक्ष जिला परिषद्/नगर महापालिका/नगर पालिका/टाउन एरिया, उत्तर प्रदेश।

(14) निबन्धक, हाई कोर्ट, इलाहाबाद/लखनऊ बेन्च, लखनऊ।

(15) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश।

(16) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

(17) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(18) सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(19) निदेशक, उत्तर प्रदेश, प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।

(20) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(21) समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

आर0 बी0 भाष्कर,

सचिव।